

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to reduce the minimum age-limit for physically challenged persons to avail the benefits under Pradhan Mantri Awas Yojana.

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (दमोह): माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न वर्ष 2022 तक “सबके के लिए आवास” के दृष्टिगत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत बेघर व कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों के लिए महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही की न्यूनतम आयु 40 वर्ष होने से दिव्यांगों व निराश्रितों के लिए वह अवरोध बन रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले प्रार्थियों एवं निराश्रितों के लिए आयु सीमा कम करके 18 वर्ष मताधिकार की आयु के समान करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कोई भी दिव्यांग एवं पूर्णतः निराश्रित ऐसी असुविधा का सामना न करे।